सुखदेव सिंह कांग और जे.एस. सेखों से पहले, जे.जे.

जोगिंदर सिंह और अन्य,- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड,,
पंचकुला और अन्य,- प्रतिवादी।

1984 की सिविल रिट याचिका संख्या 5112।

निर्णय की तिथि : 29-03-1989

पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम (1887 का XVII) धारा 67, 3(8) पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955, धारा 32-ए-|पंजाब खादी और ग्राम सिंधु द्वारा दिए गए ऋण, ब्याज, लागत-बोर्ड का प्रयास है, देय हो रहा है-क्या बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है|
भू-राजस्व-अचल संपत्ति गिरवी रखी गई-जबरदस्ती का सहारा-गिरफ़्तारी और हिरासत जैसे उपाय बताएं - चाहे पहले उचित हो उदाहरण।

फैसला, स्पष्ट और निर्णायक शब्दों में, यह प्रदान करता है कि बोर्ड द्वारा दिए गए ऋण या उस पर ब्याज या लागत, बोर्ड के देय होने पर, भूमि राजस्व के बकाए के रूप में वसूल किए जाएंगे।

इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बोर्ड एक सार्वजनिक निकाय है और सरकार नहीं है। शिल्पकारों और सीमित आय वाले अन्य व्यक्तियों को उद्योग और कार्यशाला स्थापित करने के लिए सुविधाएं प्रदान करके बोर्ड को सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए, बोर्ड ऋण प्रदान कर रहा था। इन ऋणों को किस्तों में वापस लौटाना था। इस तरह से वापस किया गया धन अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को दिया जाता था। यदि ऋण लेने वाले ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक करते हैं, तो बोर्ड का काम प्रभावित होने की संभावना है और जिस उद्देश्य के लिए बोर्ड की स्थापना की गई थी वह विफल हो सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए, 1955 अधिनियम में धारा 32-ए डाली गई ताकि ऋण, ब्याज या उससे संबंधित लागत को भूमि राजस्व के बकाए के रूप में वसूल किया जा सके।

(पैरा 7)

फैसला, पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 67 के तहत। परिणामस्वरूप, हमारा मत है कि ऋण लेने वालों की गिरफ्तारी और हिरासत जैसी जबरदस्ती उपायों का सहारा लेने से पहले अधिकारियों को, पहले प्रयास में, बोर्ड के पास गिरवी रखी गई संपत्तियों की बिक्री द्वारा बकाया राशि वसूल करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि, यदि कुछ राशि बकाया रहती है, तो केवल राजस्व अधिकारी ही चूककर्ता उधारकर्ता की गिरफ्तारी और हिरासत में लेकर बकाया राशि की वसूली कर सकते हैं।

(पैरा 8)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका प्रार्थना है कि याचिकाकर्ताओं को निम्नलिखित राहतें प्रदान की जाएं:-

1. कि मैंडामस और सर्टिओरारी की प्रकृति में एक रिट हो सकती है| इस माननीय न्यायालय द्वारा मांग को रद्द करने का आदेश जारी किया जाए और प्रतिवादियों द्वारा अवैध वसूली की कार्यवाही शुरू की गई और गिरफ्तारी की कार्यवाही को भी रद्द करना|

2. कि एक विज्ञापन-अंतरिम रिट, निर्देश या आदेश जारी किया जा सकता है|माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, इस माननीय में रिट याचिका का निर्णय होने तक अदालत;
3. कि कोई अन्य रिट, निर्देश या आदेश जारी किया जा सकता है|मामले की परिस्थितियों में यह माननीय न्यायालय;
4. उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस जारी किया जा सकता है-मामला अत्यावश्यक प्रकृति का होने के कारण; और
5. कि रिट याचिका की लागत भी उसे प्रदान की जा सकती है याचिकाकर्ताओं|

खारिज: द्वारका दास बनाम पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड 1974 पाठ्यक्रम. एल.जे. 32.

याचिकाकर्ताओं के लिए वकील के जी चौधरी।
निमो, उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

एसएस कांग, जे.

क्या हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (इसके बाद "बोर्ड" कहा जाएगा) द्वारा किसी व्यक्ति को दिया गया ऋण धारा के तहत भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है। पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 का 67 इस रिट याचिका में मुख्य मुद्दा है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या कोई ऋणी जो बोर्ड द्वारा उसे दिए गए ऋण को चुकाने में सक्षम नहीं है, उसे वसूली के अन्य तरीकों का सहारा लिए बिना ऋण और अन्य बकाया राशि का भुगतान न करने के लिए सीधे गिरफ्तार किया जा सकता है और हिरासत में लिया जा सकता है। गिरवी रखी संपत्ति की बिक्री|

2. कंकालीय तथ्यों का संक्षिप्त संदर्भ एक प्रारंभिक आवश्यकता है।

3. याचिकाकर्ताओं ने गुड़ और खांडसारी उद्योग के विकास के लिए बोर्ड से ऋण लिया था। उन्होंने ऋण चुकाने के लिए अपनी अचल संपत्तियों को प्रतिभूतियों के रूप में गिरवी रख दिया था। बोर्ड के सदस्य सचिव ने उपायुक्त, अंबाला को पत्र लिखकर याचिकाकर्ताओं से बोर्ड को भू-राजस्व के बकाया के रूप में देय धन की वसूली करने का अनुरोध किया। पत्रों में से एक की एक प्रति रिट याचिका के साथ एनाएक्सचर पी/ए के रूप में संलग्न है। 11 में कहा गया है कि याचिकाकर्ता नंबर 3 माघी राम को रुपये का ऋण दिया गया था। 27 जनवरी, 1983 को गुड़ और खांडसारी उद्योग के लिए बोर्ड द्वारा 15,000/- रु. ऋण की अग्रिम राशि के समय यह निर्धारित किया गया था कि ऋण की अग्रिम राशि को नियंत्रित करने वाली शर्तों को पूरा न करने की स्थिति में ऋण लेने वाला ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा। बोर्ड को ऋण की पूरी राशि। ऋण लेने वाले ने शर्तों का पालन नहीं किया था और न ही बोर्ड को पैसा चुकाया था। इसमें कहा गया था कि ऋण लेने वाले ने धनराशि का दुरुपयोग किया है। उसने कोई काम नहीं किया था और ऋण चुकाने में चूक कर दी थी। रुपये की राशि. पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, अधिनियम, 1955 की धारा 32-ए के तहत ऋण लेने वाले से 17,500/- (मूलधन के रूप में 15,000/- रुपये और साधारण ब्याज के रूप में 2,500/- रुपये) वसूलने की मांग की गई थी (संक्षेप में) , 1955 अधिनियम) भू-राजस्व के बकाया के रूप में। अनुरोध किया गया कि रु. ऋणी से 17,500/- रूपये यथाशीघ्र वसूल किये जायें। यह उल्लेख किया गया था कि ऋणी की अचल संपत्ति (जिसकी सूची दी गई थी) बोर्ड के पास गिरवी रखी गई थी। बोर्ड को देय उक्त राशि की वसूली पंजाब भू-राजस्व अधिनियम की धारा 3(8) के तहत की जानी चाहिए क्योंकि धारा 3(8) के तहत ऋणी या उसकी संपत्ति से बकाया राशि के रूप में राशि वसूल करने का प्रावधान किया गया है। भू-राजस्व का.

4. उपायुक्त के निर्देश के तहत तहसीलदार, नारायणगढ़, जिला अंबाला ने याचिकाकर्ताओं पर ऋण चुकाने का दबाव बनाने के लिए उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कदम उठाए थे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, तहसीलदार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए उनके गांव गए। हालाँकि, याचिकाकर्ता उस समय गाँव में मौजूद नहीं थे। अपनी गिरफ्तारी की आशंका से याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

5. उत्तरदाताओं ने रिट याचिका का जवाब दाखिल किया है जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए तथ्यात्मक कथनों को स्वीकार किया गया है। यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को बोर्ड द्वारा अग्रिम ऋण दिया गया था और उनकी अचल संपत्ति बोर्ड के पास गिरवी रखी गई थी। यह स्पष्ट किया गया था कि 1955 अधिनियम की धारा 32-ए के तहत बोर्ड द्वारा दिए गए ऋण सहित सभी राशियाँ, जो देय हो गई हैं, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होंगी। यह दावा किया गया कि ऋण की वसूली के लिए प्रतिवादी द्वारा शुरू की गई कार्रवाई संवैधानिक और वैध थी।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री केजी चौधरी ने याचिका के समर्थन में दो तर्क उठाए हैं।

(i) यह कि बोर्ड 1955 अधिनियम के तहत निगमित एक कॉर्पोरेट निकाय है और सरकारी नहीं है। उस कॉर्पोरेट निकाय को देय धनराशि को सरकारी बकाया नहीं कहा जा सकता है और उन्हें भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल नहीं किया जा सकता है; और (ii) भले ही याचिकाकर्ताओं से देय ऋण और ब्याज आदि की राशि पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 67 के तहत भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है, उत्तरदाताओं को पहले अन्य तरीकों का सहारा लेकर इन राशियों की वसूली करनी होगी उपरोक्त धारा 67 द्वारा विचार किया गया और यदि वे ऋण को पूरा या उसका कुछ हिस्सा वसूलने में सफल नहीं हुए, तो केवल तभी गिरफ्तारी और हिरासत का सहारा लिया जा सकता है। प्रतिवादी सीधे याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे और उन्हें हिरासत में नहीं ले सकते थे।

7. हमने श्री चौधरी द्वारा किए गए पहले निवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और इसे स्वीकार करने में असमर्थता पर हमें खेद है। बोर्ड ने याचिकाकर्ताओं को अग्रिम ऋण दिया था और याचिकाकर्ताओं को कुछ धनराशि देय हो गई थी। धारा 32-ए को विशेष रूप से अधिनियमित किया गया था और 1961 के अधिनियम संख्या 12 द्वारा 1955 अधिनियम में डाला गया था। यह स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में प्रदान करता है कि बोर्ड द्वारा दिए गए ऋण या उसके संबंध में ब्याज या लागत, बोर्ड को देय होगी। भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य

होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बोर्ड एक कॉर्पोरेट निकाय है और सरकारी नहीं है। उद्योगों और कार्यशालाओं की स्थापना के लिए कारीगरों और सीमित साधनों वाले अन्य व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करके बोर्ड को सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए, बोर्ड ऋण प्रदान कर रहा था। इन ऋणों को किश्तों में लौटाना पड़ता था। इस प्रकार लौटाया गया पैसा अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को दिया गया। यदि ऋण लेने वालों ने ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की, तो बोर्ड के काम पर असर पड़ने की संभावना थी और जिस उद्देश्य के लिए बोर्ड की स्थापना की गई थी, उसके विफल होने की संभावना थी। इस स्थिति से निपटने के लिए, 1955 के अधिनियम में धारा 32-ए शामिल की गई ताकि ऋण, ब्याज या उसके संबंध में लागत को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सके। धारा 32-ए द्वारा प्रदत्त इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकारी मामले में आगे बढ़ रहे थे और याचिकाकर्ताओं से ऋण वसूलने की कोशिश कर रहे थे। श्री चौधरी का यह तर्क कि चूंकि बोर्ड सरकारी नहीं था, इसलिए इसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली नहीं की जा सकती क्योंकि भू-राजस्व का बकाया धारा 32-ए के प्रिय प्रावधानों के मद्देनजर तर्कसंगत नहीं है। द्वारका दास बनाम पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड 1974 क्यूआर एलजे 32 में निर्णय, याचिकाकर्ताओं के लिए कोई मदद नहीं है। दरअसल, उस मामले में यह देखा गया था कि बोर्ड 1955 अधिनियम के तहत निगमित एक कॉर्पोरेट निकाय था और यह सरकारी नहीं था और बोर्ड को देय राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल नहीं किया जा सकता था। हमने मामले की रिपोर्ट का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और पाया है कि उक्त प्रावधान 6एफ एस. 32-ए को उस मामले का फैसला करने वाले विद्वान न्यायाधीश के ध्यान में नहीं लाया गया था। धारा 32-ए के संदर्भ में कानूनी स्थिति को समझे बिना याचिका पर निर्णय लिया गया था। निर्णय का अनुपात एस 32-ए के सामने उड़ जाता है। हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि द्वारका दास का मामला (सुप्रा) सही कानून नहीं बनाता है और हम इस निर्णय को खारिज करते हैं।

8. श्री चौधरी की दूसरी दलील में दम है और इसे लागू किया जाना चाहिए। यह पार्टियों का स्वीकृत मामला है कि याचिकाकर्ताओं ने ऋण की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए अपनी अचल संपत्तियों को बोर्ड के पास गिरवी रख दिया था। बोर्ड

के सचिव के पत्र अनुलग्नक पी1/ए में भी स्पष्ट कहा गया है कि ऋणियों की अचल संपत्ति बोर्ड के पास बंधक थी और उसका विवरण दिया गया था. पत्र में आगे यह भी कहा गया है कि बोर्ड को देय राशि की वसूली ऋण लेने वाले या उसकी संपत्ति से पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 3(8) के तहत की जा सकती है। पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 67 में बकाया की वसूली के लिए प्रक्रिया शामिल है जो इस प्रकार है:--

"67. बकाया की वसूली के लिए प्रक्रियाएं - इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, भू-राजस्व का बकाया निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक द्वारा वसूल किया जा सकता है, अर्थात्: -

(ए) डिफॉल्टर पर मांग की रिट की सेवा द्वारा;

(बी) उसके व्यक्ति की गिरफ्तारी और हिरासत से;

(सी) संकट और उसकी चल संपत्ति और बिना काटी या बिना कटाई की गई फसलों की बिक्री से; (डी) उस होल्डिंग के हस्तांतरण द्वारा जिसके संबंध में बकाया देय है; (ई) उस संपत्ति या होल्डिंग की कुर्की द्वारा जिसके संबंध में बकाया देय है;

(एफ) उस संपत्ति या होल्डिंग के मूल्यांकन को रद्द करके;

(छ) उस संपत्ति या होल्डिंग की बिक्री से;

(ज) चूककर्ता की अन्य अचल संपत्ति के विरुद्ध कार्यवाही द्वारा;

9. ऊपर बताए गए तरीकों में से किसी एक या अधिक तरीकों का सहारा लेकर भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जा सकता है। मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ताओं की अचल संपत्ति पहले से ही बोर्ड के पास गिरवी थी। ऋण आदि की राशि वसूल करने का उचित तरीका इन संपत्तियों को बेचना है। यदि मूल राशि, ब्याज, लागत के कारण कुछ धनराशि अभी भी अवमुक्त रहती है, तो अधिकारी बलपूर्वक तरीकों का सहारा ले सकते हैं। ऐसी ही परिस्थितियों में, गोमती देवी बनाम कालका को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, कालका 1988 पी एलजे 416 में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने निम्नानुसार टिप्पणी की:--

"वर्तमान मामले में रिट याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसके पति को पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 67 के तहत परिकल्पित अन्य कदमों का सहारा लिए बिना सीधे गिरफ्तार और हिरासत में रखा गया था। हमारा विचार है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और हिरासत वर्तमान जैसे मामले में, आम तौर पर अंतिम उपाय किया जाना चाहिए, क्योंकि यह नहीं माना जा सकता है कि वह आदमी, जो हाउस बिल्डिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य बनकर अपने ऊपर छत चाहता था। उसकी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का इतने सस्ते में सौदा किया गया। इस तरह का कदम उठाने में कुछ भी असामान्य नहीं सुझाया गया है। बिना ज्यादा हलचल के, हम इस याचिका को स्वीकार करते हैं, डिफॉल्टर को बड़े पैमाने पर रहने की अनुमति देते हैं और इसे प्रतिवादी पर छोड़ देते हैं कि वह सबसे पहले अन्य लोगों से बकाया वसूल करे। पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम के तहत वसूली के साधन और उनकी संतुष्टि दर्ज करने पर कि उनके द्वारा उठाए गए कदम सफल नहीं हुए, फिर याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और हिरासत का सहारा लिया गया।"

10. अंतिम न्यायालय की टिप्पणियाँ भी इसी आशय की हैं | पंजाब राज्य और अन्य बनाम. एस. धरम सिंह (मृत) उत्तराधिकारी देसा सिंह और अन्य द्वारा.), जो इस प्रकार है:--

"सरकार को सबसे पहले उचित रूप से गिरवी रखी गई संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और संपत्ति बेचनी होगी। केवल उस स्थिति में जब पूरी राशि की वसूली नहीं हो पाती है, सरकार व्यक्तिगत रूप से उधारकर्ता के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। सरकार समझौते से उतनी ही बंधी है जितनी कि उधारकर्ता। और, इसलिए, सरकार को सबसे पहले गिरवी रखी गई संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी।"

11. हालांकि याचिकाकर्ताओं ने अचल संपत्ति की बिक्री से ऋण की वसूली के लिए किसी विशिष्ट समझौते की वकालत नहीं की है, फिर भी पार्टियों की दलीलों और पत्र अनुबंध पी 1/ए की सामग्री से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकारियों का इरादा था सबसे पहले बोर्ड के पास गिरवी रखी अचल संपत्ति की बिक्री से देय ऋण की राशि वसूल करें। में अवलोकन पंजाब राज्य और अन्य बनाम. एस.

धरम सिंह (मृत) उत्तराधिकारी देसा सिंह और अन्य द्वारा.पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 67 के संदर्भ में भी बनाए गए हैं। परिणामस्वरूप, हमारा मानना है कि अधिकारियों को ऋण लेने वालों की गिरफ्तारी और हिरासत जैसे कठोर कदम उठाने से पहले, सबसे पहले, बोर्ड के पास गिरवी संपत्तियों की बिक्री के माध्यम से बकाया वसूलने का प्रयास करना था। हालाँकि, यदि कुछ राशियाँ तब बकाया रह जाती हैं, तभी राजस्व अधिकारी डिफॉल्टर ऋणदाता की गिरफ्तारी और हिरासत द्वारा बकाया की वसूली कर सकते हैं। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमने बोर्ड द्वारा दिए गए ऋणों के संदर्भ में भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 67 के प्रावधानों को समझा है और ये सिद्धांत करों, शुल्क की वसूली के मामले में लागू नहीं हैं। आदि, राज्य के कारण.

12. परिणामस्वरूप, हम रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और राजस्व अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी और हिरासत की कार्यवाही को रद्द करते हैं और उन्हें कानून के अनुसार और इस फैसले में की गई टिप्पणियों के आलोक में मामले में आगे बढ़ने का निर्देश देते हैं। कोई लागत नहीं.

13. तदनुसार आदेश दें.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनीषा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
बहादुरगढ़,हरियाणा